



प्रेस विज्ञप्ति जनपद अम्बेडकरनगर।

दिनांक 29.05.2022

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 02 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की गई कुर्क।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ राजू तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी भारीडीहा थाना इब्राहिमपुर जनपद अंबेडकरनगर अस्थाई पता प्रबंधक आर0डी0 लाज अकबरपुर अंबेडकरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 88/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मालीपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

01. ग्राम जोहरडीजह मुरादाबाद तहसील अकबरपुर जिला अंबेडकरनगर स्थित गाटा संख्या 330 पर बना आर0डी0 लॉज के नाम से होटल।
02. ग्राम लालापुर तहसील अकबरपुर जनपद अंबेडकरनगर स्थित गाटा संख्या 1133/0.5590 हे0 खेत।

उपरोक्त समस्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 02 करोड़ रुपये है।

नोट:- अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित कर उपरोक्त संपत्ति को प्राप्त किया गया है।